भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

 **अतारांकित प्रश्न सं. 2913**

12.12.2016 को उत्तर के लिए

**कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाना**

**2913. सरदार बलविंदर सिंह भुंडरः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** दिनांक 28 नवम्बर, 2016 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 121 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि कार्बन उत्‍सर्जन को कम करने की प्रक्रिया में हम सभी एक राष्ट्र के तौर पर किन-किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

भारत का वर्ष 2010 में प्रतिव्‍यक्ति जीएचजी उत्‍सर्जन 1.56 टन CO2 समकक्ष था जो विश्‍व के प्रतिव्‍यक्ति उत्‍सर्जनों के एक तिहाई से कम है और विभिन्‍न विकसित तथा विकासशील देशों से काफी कम है।

 भारत ने अक्‍टूबर, 2015 में प्रस्‍तुत किए गए जलवायु संबंधी संयुक्‍त राष्‍ट्र कार्यढांचा सम्‍मेलन को अपने राष्‍ट्रीय तौर पर निर्धारित अंशदान (एनडीसी) के माध्‍यम से 2005 के स्‍तर में 2030 तक 33 से 35 प्रतिशत तक सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) की ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) उत्‍सर्जन तीव्रता कम करके, वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्‍म ईंधन आधारित उर्जा संसाधनों से लगभग 40 प्रतिशत संचयित विद्युत संस्‍थापित क्षमता प्राप्‍त करने और वर्ष 2030 तक अतिरिक्‍त वन और वृक्षावरण के माध्‍यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 समकक्ष का अतिरिक्‍त कार्बन सिंक सृर्जित करने की प्रतिबद्धता की है। घरेलू संसाधनों के अलावा, इन लक्ष्‍यों की उपलब्धि कम लागत अंतरराष्‍ट्रीय जलवायु वित्‍त और प्रौद्योगिकी अंतरण की उपलब्‍धता पर निर्भर करती है।

**\*\*\*\***